प्रेस नोट दिनांक 03.08.2022

प्रभारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मु0अ0सं0 223/2019 धारा 376,506 भादवि0 व 66 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम में प्रभावी पैरवी करते हुए, अभियान के अंतर्गत अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/-रुपए अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया |

श्री अखिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन गोरखपुर उ0 प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन शिकंजा के अन्तर्गत मुअसं0 223/2019 अभियुक्त राम प्रकाश तिवारी पुत्र राम प्रगट तिवारी निवासी सरोवर कठौतिया थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर, वाद संख्या 833/2020 जो श्री बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक इटवा द्वारा पैरवी हेतु चिन्हित किया गया था। जिसमें अभियुक्त राम प्रकाश तिवारी के विरुद्ध विवेचक द्वारा धारा 376,506 भादवि0 व धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिसमें मा0 न्यायालय एडीजे -3 सिद्धार्थनगर द्वाराअभियोजन पक्ष के श्री राजेश कुमार त्रिपाठी (एडी जीसी), विशेष लोक अभियोजक के संवाद पर दिनांक 01.08.2022 को धारा 376 भादवि0 मे 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रु० अर्थदण्ड से व धारा 506 के अंतर्गत अभियुक्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया सभी सजाएँ साथ-साथ चलेगी।

विशेष :- अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 माह का अतिरिक्त कारावास का भी प्राविधान दण्ड में किया गया है |

प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने वाली टीम का विवरण :-

01- श्री राजेश कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) विशेष अभियोजक सिद्धार्थनगर |

02- श्री बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक इटवा, सिद्धार्थनगर |

03- हेड मु० अजय कुमार द्विवेदी थाना इटवा, सिद्धार्थनगर |

04- मुख्य आरक्षी भीम सिंह पैरोकार थाना इटवा, सिद्धार्थनगर |

प्रेस रिपोर्ट थाना शिवनगर डीडई सिद्धार्थनगर 03.08.2022

अभियान त्रिनेत्र के तहत कस्बा शिवनगर डीडई निवासी अब्दुल हाई के सहयोग से कस्बा डिडई के मसिनां मोड़ व मुख्य मार्ग पर 02 सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, श्री अखिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान त्रिनेत्र के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनन्द के सफल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बांसी श्री देवी गुलाम व श्री ज्ञानेन्द्र राय प्रभारी निरीक्षक थाना शिवनगर डिडई के नेतृत्व में जनता, समाजसेवी संस्थानों एवं व्यापार मण्डल अध्यक्ष एवं व्यापारीगण से परस्पर सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करते हुए। जनपद के कस्बा शिवनगर डीडई निवासी अब्दुल हाई के सहयोग से कस्बा डिडई मुख्य मार्ग व मसिना मोड़ पर 04 मेगा पिक्सल का सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया गया। सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना शिवनगर डीडई द्वारा अब्दुल हाई को सम्मानित किया तथा उनके प्रयास की सराहना की गयी।। उक्त कैमरा 4 मेगापिक्सल 45 दिन के बैकअप इनवर्टर बैकअप से युक्त है। इनसे अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सकेगी ॥

प्रत्र शाखा

2_ रिट सेल

3_ मानिटीरिंग सेल
4_जानसिकायत पार्कोस्ट
5_फिटबैकसेल
6_कैमरा
7_पासपोर्ट सेल

प्रेस नोट दिनांक- 03-08-2022

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं (प्रधान लिपिक, मानीटरिंग सेल, पत्र शाखा, जनशिकायत प्रकोष्ठ, फीडबैक सेल आदि) का निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 03-08-2022 को श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस कार्यालय के प्रधान लिपिक, मानीटरिंग सेल, फीडबैक, पासपोर्ट सेल, **पत्र शाखा, जनशिकायत प्रकोष्ठ** आदि का किया गहनता से निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

महोदय द्वारा सी0सी0टी0वी0 कन्ट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया जिसमें जनपद के प्रमुख चौराहों/रास्तों पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की लाइव वीडियो आदि का गहनता से निगरानी किये एवं कार्यालय में रैक, आलमारी कम्प्यूटर आदि को सुव्यस्थित करने एवं रख-रखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

प्रेस नोट दिनांक 03.08.2022

थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 08 बोरी यूरिया खाद व 01 अदद पुरानी साइकिल, व गिरफ्तार 01 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया

श्री अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री देवनन्दन उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में आज दिनांक 03.08.2022 को उ0नि0 प्रदीप कुमार चौहान चौकी प्रभारी हरिवंशपुर व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा कार्यवाही के क्रम मे तस्करी होने से रोकने के लिए धारा 11 कस्टम अधिनियम की कार्यवाही के अन्तर्गत 08 बोरी यूरिया खाद व 01 अदद पुरानी साइकिल, समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. धर्मेन्द्र पासवान पुत्र त्रिभुवन पासवान साकिन ठोठरी थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चौहान चौकी प्रभारी हरिवंशपुर थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
2. हे0का0 महेन्द्र मौर्या थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे0का0 इन्द्रजीत सिंह थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 03.08.2022 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद्र पाण्डेय एवं श्री घनश्याम सिंह थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.08.2022 को वारंटी के गिरफ्तारी के अभियान में मु०अ0स0 909/12 धारा 498ए,323,504,506 मुकदमा से संबंधित 01 वारंटी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. नवी मोहम्मद पुत्र मोहम्मद रजा उर्फ नेउर साकिन असिधवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम

01-उप निरीक्षक दुर्गा प्रसाद

02.मुख्य आरक्षी राम प्रकाश सिंह

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोटःदिनांक 03.08.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 03.08.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री हरीश चंद्र के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार यादव मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा वाहन चेकिंग के दौरान खतरनाक तरीके से ड्राइविंग / स्टंट बाइकिंग व नौगढ़ बांसी हाईवे पर नियम विरूद्ध तरीके से खड़े ट्रकों/वाहनों तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले 40 वाहनों से 49500/-रू0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट दिनांक 03-08-2022

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 03-08-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 03 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया व अन्य 02 पत्रावलियों में वार्ता प्रचलित है। 01परिवार को बिखरने से बचाने मे महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान,महिला हेड कांस्टेबल सविता सिंह, महिला आरक्षी नेहा सिंह , महिला आरक्षी अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. आसमा खातून पत्नी सानू साकिन नगर पालिका परिषद ईशा नगर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- दिनांक- 03.08.2022

मुकदमे में वांछित अभियुक्तो को शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक , श्री जयप्रकाश दूबे के निर्देशन में व.उ.नि. श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव मय टीम द्वारा मु.अ.सं. 227/22 धारा 457/380/411 IPC से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को डोइया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके पास से चोरी के 2260 रूपये बरामद हुए। तथा मु0अ0सं0 230/22 धारा 324/323/504/506 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त को मुखबीर की सूचना पर खुनुवां शोहरतगढ़ रोड से धर्मशाला जाने वाले मोड़ पर स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ जिसके आधार पर मु0अ0सं0 232/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही विधिक की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मु0अ0सं0 227/22 धारा 457/380/411 IPC मे गिरफ्तार अभियुक्त

जुबेर पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी धुनिया मोहल्ला कस्बा व थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर

मु0अ0सं0 230/22 धारा 324/323/504/506 IPC व मु0अ0सं0 232/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 मे गिरफ्तार अभियुक्त

सद्दाम पुत्र मुबारक अली निवासी वार्ड नं0 5 धर्मशाला कस्बा व थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. का0 अशोक कुमार, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
3. का0 आदित्य यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर